



रिहायर सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | VAISHALI  
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा केंद्र, २ कम्युनिटी सेंटर ०

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 10 के प्रयोगनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावधी के नियम 11 के उपनियम के अन्वर्गत विद्यालय की प्रस्तीक्षित का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आदेदन पत्र दिनांक 18-08-2021 और उसके काम में आपसे किये गये प्रश्नावार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आदेदन विद्यालय St. Xavier's H.S. School, kushhar khas, Mahua, Vaishali, Kushhar khas, 844126, कक्षा १ से ८ तक संवालन हेतु तीन वर्ष 18-08-2021 से 18-8-2024 अवधि के लिए औपचार्यि प्रस्तीक्षित प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रस्तीक्षित निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

१. प्रस्तीक्षित किसी भी परिस्थिति में कक्षा ८ तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
२. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-१) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावधी 2011 (अनुलग्नक-२) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगे।
३. विद्यालय अपनी कक्षा १ में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने ३ करेगा। पढ़ोंस के कामजोर दर्दी एवं अलाभकारी समूह के बच्चे करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राप्तिक कक्षाओं का अनुपालन हो रहा है, तो इनका अनुपालन पूर्व प्राप्तिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
४. छाड़िका ३ में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा २ के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतीक्षा जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
५. होसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके मालामालों या अभिभावक का स्टीफिल टेस्ट नहीं। जाएगा।
६. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाट उस दर्दी, जारी, जन्म घटना जारी राशि के एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
७. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा हो ग्रामीण शिक्षा मुद्रे हानि रक्षा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से छलाड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड एपीक्या पास करने की आवश्यकता नहीं होती।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का समरोङ्गण किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 के अनुसार विद्यालय के अनुकूल किया जाएगा।

Satish Kumar Jha  
Chairman

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा St. Xavier's High School, Kushahar Khas, Mahua, Vaishali, Bihar

St. Xavier's High School,  
Kushahar Khas, Sherpur Chhatwara,  
Mahua, Dist-Vaishali

8. राज्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निश्चयतः
- (i) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 8093.71
  - (ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 8093.71
  - (iii) खेल के मैदान के क्षेत्र :- Drinking water, Wash room, School Vehicle Parking, Play ground
  - (iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 20
  - (v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 4
  - (vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अंतर्गत-अंतर्गत शौचालय :- Indian, Boys :- 12, Girls 10
  - (vii) पेयजल की सुविधा :- 13
  - (viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
  - (ix) बाधारहित पहुँच, [ ] :-
  - (x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय :- attached, attached, ( Y , 306 , NewsPaper MagaZine:- 3 )
11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी प्रक्रिया द्वारा द्वारा अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिता शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या [ 22012752021818102421, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिता शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को द्रुत करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निर्वंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुत्प्रक ॥ के रूप में संतुष्ट अन्य शर्तें

→ ३१-०९-२०२२

विश्वास भाजन

जिला कार्यक्रम प्रदाधिकारी, VAISHALI  
सम्प्राह सिक्षाक्रम प्रशासकीय समिति  
शिक्षा विभाग, विहार सरकार

Venod Kumar  
Principal (65657)  
Venod Kumar  
St. Xavier's High School  
Kushahar Khas, Mahua  
Vaishali, Bihar

Satish Kumar Jha  
Chairman  
St. Xavier's High School  
Kushahar Khas, Sherpur Chhatwara  
Mahua, Dist-Vaishali